

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के तहत तिमाही रिपोर्ट
(31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही अर्थात 01.01.2022 से 31.03.2022 तक)**

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या:-	1052
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या, जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेज देखने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अंतर्गत ये निर्णय लिए गए थे, और ऐसे उपबंधों का कितनी बार अवलंब लिया गया था:-	शून्य
(ग)	केंद्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप एवं अपीलों का परिणाम:-	[12 (11 मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग ने आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के निर्णय को सही ठहराया है। 01 मामला लंबित था जिसका निर्धारित समय के भीतर तदनुसार निपटान कर दिया गया था।]
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण-	शून्य
(ङ)	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित प्रभारों की राशि	17650/-रु.
(च)	अधिनियम के भाव का प्रशासन और क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाला विवरण	---
(छ)	सुधार, जिसमें अधिनियम के विकास, अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित सुधार; अधिनियम या निर्णयज विधि के अन्य विधान में संशोधन करने के लिए सुधार या सूचना प्राप्त करने के अधिकार को क्रियाशील करने से सुसंगत कोई अन्य मामला शामिल है, के लिए उपयुक्त सुझाव।	---

ह./-

(शिल्पी श्रीवास्तव)

अवर सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी